तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **मनोज कुमार बनाम ग्राम पंचायत बीलाहेडी** **अपील संख्या–7/2018(जारीएमएस नम्बर 2018/00009)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उन्होने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के वारिसान के रजिस्टर्ड नोटिस व संशोधित उनवान पेश करने हेतु अवसर चाहा। हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे विदित है कि प्रकरण वर्ष 2004 से विचाराधीन चल रहा है तथा प्रकरण में दिनांक 15.04.2004 को स्थगन भी दिया हुआ है। प्रकरण में दिनांक 05.12.2019 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के वारिसान को रिकार्ड पर लिया गया है एवं अधिवक्ता अपीलान्ट को संशोधित उनवान व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के वारिसान के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने के आदेश पारित किये गये है। तत्पश्चात् अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा कई बार अवसर लेने के उपरान्त भी आदिनांक तक संशोधित उनवान एवं रजिस्टर्ड नोटिस पेश नही किये गये है। इस प्रकार अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नही की जा रही है। प्रकरण काफी पुराना वर्ष 2004 का है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नही किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की ओर से न्यायालय हाजा द्वारा प्रदत्त आदेशों की पालना नही किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। **(डॉ0प्रवीण कुमार)** अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर।	